

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 6021/2026
CNR: RJHC010261542026
URN: CW / 11112U / 2026

Milan Bhatt

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Laxmi Kant Vaishnav, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Ravi Shanker, Adv. for Mr. Nitesh Mathur, AGC.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

09/07/2026

राज्य सरकार के कर्मचारी याची की ओर से निलंबन आदेश को इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। दिनांक 27.03.2026 को अंतरिम स्थगन आदेश अयाची की अनुपस्थिति में पारित किया गया था तथा बाद में अयाचीगण की तामील हेतु सम्यक रुचि याची पक्ष द्वारा नहीं ली गयी है और प्रकरण अभी भी तामील हेतु लंबित है।

निलंबन आदेश के संबंध में प्रभावी व अन्यत्र उपचार भी उपलब्ध है, यह बिन्दु भी महत्वपूर्ण है। संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि याची आज से तीन दिन में पी एफ नोटिस आदि पेश करे। तत्पश्चात अयाचीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता याची को नोटिस निवेदन अनुसार दस्ती प्रदान किये जावे। तामील में याची को रुचि लेनी होगी। आगामी पेशी पर अयाचीगण पर तामील नहीं होती है तो पूर्व में पारित अंतरिम आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस शर्त के अधीन पूर्व में पारित अंतरिम आदेश विस्तारित किया जाता है।

प्रकरण **चार सप्ताह** बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J